मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
-0-

क्रमांक 0692 **/22/अमुस/2020** **भोपाल, दिनांक** 15 **/06/2020**
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय : **रोजगार सेतु पोर्टल पर सर्वे किए गए प्रवासी श्रमिकों के मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने तथा मनरेगा अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराने तथा तदसंबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने तथा पंजीकृत नियोजक/रोजगार प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के कार्य समन्वय करने विषयक।**

संदर्भ : **मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग का पत्र क्र. 46 अमुस/श्रम/2020 भोपाल दिनांक 11 जून 2020**

रोजगार सेतु पोर्टल पर सर्वे किए गए प्रवासी श्रमिकों के मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने, मनरेगा अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराने तथा तदसंबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने बावत श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा संदर्भित पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्न कार्यवाहियां तत्परता एवं प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है -

1. रोजगार सेतु पोर्टल पर ऐसे प्रवासी श्रमिकों, जिन्हे मनरेगा का जॉब कार्ड प्रदाय नहीं किया गया है एवं ऐसे जॉब कार्डधारी प्रवासी श्रमिक, जिन्हे मनरेगा में रोजगार नहीं मिला है उनकी जानकारी पोर्टल से डाउनलोड कर जॉब कार्ड नियमानुसार उपलब्ध कराना तथा मनरेगा कार्यों में पात्रतानुसार रोजगार उपलब्ध करने की कार्यवाही किया जाना है तथा पोर्टल पर तदनुसार जानकारी आवश्यक रूप से इन्द्राज किया जाना है।
2. रोजगार/नौकरी प्रदाय करने की नियोक्ता द्वारा पोर्टल पर इंद्राज की गई जानकारी की संबंधित नियोक्ता/ रोजगार प्रदायकर्ता से एवं समस्त लाभान्वित प्रवासी श्रमिकों से दूभाष पर चर्चा कर जानकारी का शतप्रतिशत सत्यापन किया जाना है।
3. ऐसे प्रवासी श्रमिक जो " संबंल " अथवा "भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर पंजीयन के लिए पात्र हैं उन्हे विहित प्रक्रिया अपनाकर पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा आधार अधिप्रमाणन (aadhar authentication) कर पंजीयन किए जाने के कार्य को समयसीमा में सुनिश्चित किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक 0693 /22/अमुस/2020 भोपाल, दिनांक 15/06/2020

प्रति :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 46 अमुस/श्रम/2020 भोपाल दिनांक 11 जून 2020 के संदर्भ में प्रेषित ।
2. संचालक, पंचायतराज संचालनालय।
3. आयुक्त, मनरेगा परिषद।
4. कलेक्टर्स (समस्त) मध्यप्रदेश।
5. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकीनीकि विशेषज्ञ, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) भोपाल।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with CamScanner